हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 19 -02-2021

Order

Sub :- Diversion of 8.9899 ha of forest land in favour of Manali Ropeways Pvt. Ltd. Solang Valley, Tehsil Manali, Distt. Kullu HP, for the construction of Manali Ropeway Project within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/64/2018/FC/2503 dated 07-02-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **8.9899 ha** वन भूमि को **Manali Ropeways Pvt. Ltd. Solang Valley, Tehsil Manali, Distt. Kullu HP,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Dughilag-III में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 18.00 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on **15-02-2021 in I.A No. 191338 of 2019, IA No. 55071 , 121109, 130847, 87648 of 2020 in WP(C) No.-202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.**
4. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधौं का रोपण किया जायेगा।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्‌देश्य के अलावा अन्य किसी उद्‌देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

S/FCA

Contd./2

APCCF(FCA)
22/2

PCCF(HOFF)
20/2/21

10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 550 वृक्षों से अधिक न हो।

11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/ प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।

13. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

14. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

16 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Kullu, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 19 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, ~~Sirmour at Nahan~~ Kullu, Distt., ~~Sirmaur~~ Kullu, Himachal Pradesh.
6. DFO Kullu Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7. The Manali Ropeways Pvt. Ltd. Solang Valley, Tehsil Manali, Distt. Kullu HP.
8. Guard File.

(R.D.Dhiman)
Addl. Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 19 -02-2021

Order

Sub :- **Diversion of 9.5 ha(instead of 12.01 ha) of forest land for the construction of Shiv Dham at Kangni, Mandi, H.P in favour of Department of Tourism & Civil Aviation, H.P., Deputy Director Tourism and Civil Aviation Near Visco Resorts Chadyar Mandi, H.P., within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.(online no. FP/HP/others/42007/2019).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/04/2020/FC/11 dated 08-10-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **9.5 ha (instead of 12.01 ha)** वन भूमि को **Deputy Director Tourism and Civil Aviation,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**

   क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 19.00 हे0 Khasra no. 474, 477,856/478 & 872/809 kita 4 area measuring 19 ha (234-15-04 bighas) in muhal Banoul/435, Tehsil Sadar पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।

   ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. Plantation & their maintenance for 10 years of fast growing local species as per the scheme in 10 m wide periphery all around the area proposed for diversion will be carried out and kept as green belt by Forest Department and will not be diverted for any other purpose.
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 51 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
6. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

S/FCA

APCCF (FCA) 22/2

PCCF (HOFF) 20/2/21

Contd./2

7. Construction will be limited to 7.06 ha area only and rest 2.44 ha area will always be maintained as "Green" by the User Agency/Forest Department.

8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on **15-02-2021 in I.A No. 191338 of 2019, IA No. 55071 , 121109, 130847, 87648 of 2020 in WP(C) No.-202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.**

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषताः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामगी के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

16. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथ्वा व्यत्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

17. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यावेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से वन विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना वन विभाग हि0 प्र0/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

Contd./3

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 19 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Mandi Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. The Dy. Director Tourism and Civil Aviation Near Visco Resorts Chadyara Mandi, Himachal Pradesh.
8. Guard File.

(R.D.Dhiman)
Addl. Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.